

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इस्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता धीवाणी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

नसीब कौर उर्फ सन्तो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जग्गि तहसीलदार श्रीकरणपुर  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 82/2020

निर्णय दिनांक :- 14.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह पेज होने पर अदालत किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व व अधिनियम 1956 मली-भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/73 में अंकित नाम सन्तो पुत्री मेहर के स्थान पर सन्तो उर्फ नसीब कौर पुत्री मेहर सिंह पत्नी सुन्दर सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगी। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.02.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/ 88

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 14/02/2022



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर